पुलिस आदेश संख्या 260 /1997

विभिन्न संवर्गों में वरीयता में एकरूपता न होने एवं क्षेत्रीय आधार पर दी जानेवाली प्रोन्नति सम्बंधी विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से पुलिस आदेश संख्या-204/88 निर्गत किया गया था । विभिन्न संवर्गों की आपसी वरीयता राज्य स्तर पर संधारित होने एवं उस वरीयता के आधार पर प्रवेशिकोत्तीर्ण आरक्षी से सहायक अवर निरीक्षक एवं सहायक अवर निरीक्षक से अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति में नियमितता एवं एकरूपता कायम हो जाने के कारण अब पुलिस आदेश सं0-204/88 की उपयोगिता एवं आवश्यकता अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है ।

अतएव, पुलिस आदेश सं0-204/88 को निरस्त करते हुए बिहार आरक्षी संवर्ग के कनीय पदाधिकारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण अब निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुरूप होगा :-

1- जो आरक्षी नियुक्ति के समय प्रवेशिकोत्तीर्ण होंगे, उनकी वरीयता की गणना (प्रवेशिकोत्तीर्ण आरक्षी के रूप में) उनकी नियुक्ति की तिथि से की जाएगी ।

2- जो आरक्षी नियुक्ति के पश्चात् प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करेंगे, उनकी वरीयता का आधार प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि होगा ।

3- प्रवेशिकोत्तीर्ण आरक्षी से सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु आरक्षी हस्तक नियम 660(ग) में निहित प्रावधानों के अनुसार पी0टी0सी0 (स0अ0नि0 कोर्स) परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी ।

4- सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक की पंक्ति में वरीयता का आधार उनके द्वारा धारित क्रमिक पदों में नियमित प्रोन्नति की तिथि होगी जो प्राधिकृत पर्षद की अनुशंसा पर दी गयी हो अर्थात् तदर्थ प्रोन्नति उनकी वरीयता का आधार नहीं होगा ।

5- सीधे नियुक्त अवर निरीक्षकों में आपसी वरीयता मेधा सूची (Merit List) के अनुसार होगी ।

6- यदि प्रोन्नत अवर निरीक्षकों एवं सीधे नियुक्त अवर निरीक्षकों की नियुक्तियों की तिथि एक ही हो तो वैसी स्थिति में प्रोन्नत अवर निरीक्षकों की वरीयता सीधे नियुक्त अवर निरीक्षकों के ऊपर निर्धारित की जाएगी ।

7- आशु संवर्ग/टंकक संवर्ग में नियुक्त पदाधिकारी जब सामान्य संवर्ग में परिवर्तित होते हैं तो सामान्य संवर्ग में उनकी वरीयता के निर्धारण का आधार उनके मूल पद पर नियुक्ति की तिथि होगी ।

भ्रसाबो
29/3.

क्0 पृ0 उ0 ——2/-